उत्तर प्रदेश शासन

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

संख्या-2/2024/आर0जी0-587/दस-2024-01(आयोग)/2022

लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2024

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-1/2024/आर0जी0-77/दस-2024-01(आयोग)/2022 दिनांक 15 जनवरी, 2024 के क्रम में श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त तथा श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, वित्त को छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अवधि के लिये आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री कुमार एवं श्री दीक्षित अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी आयोग के सदस्य बने रहेंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. श्री दीपक कुमार, अध्यक्ष, छठा राज्य वित्त आयोग, उ0प्र0।
10. विशेष सचिव, वित्त (सेवायें) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11. श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन ।
12. श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in